राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)
राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र कोलीवाडा
पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व वाद सं. 15/2010
दायरा तिथि 08.04.2010
निर्णय तिथि 02.06.2016

वादीनी–

अंशीदेवी पुत्री लच्छाजी
पत्नी मदनलालजी जाति माली
निवासी सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर

बनामः

प्रतिवादीगण–

1–अमृतलाल पुत्र लच्छाजी
2–उमीदेवी पत्नी लच्छाजी
3–बसंतकुमार पुत्र लच्छाजी
4–भंवरीदेवी पत्नी चम्पालालजी
5–कन्यादेवी पत्नी मोहनलालजी
जातिगण माली निवासीगण सुमेरपुर
6–सुखीदेवी पत्नी चन्दूलालजी
जाति माली निवासी खन्दरा
तहसील शिवगंज
7–फूलाराम पुत्र समरथाजी
8–हुलीबाई पत्नी फूलारामजी
9–तेजाराम पुत्र फूलारामजी
जातिगण माली निवासीगण सुमेरपुर
10–जालमसिंह पटवारी कोलीवाडा
11–तहसीलदार सुमेरपुर
12–उप पंजीयक सुमेरपुर

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी.एक्ट,1955

–: निर्णय :–

दिनांक 02.06.2016

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र कोलीवाडा में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। हमने, लोक अदालत की भावना से पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन एवं परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत् मामले की वाद–विषयक स्थिति अनुसार वादीनी द्वारा कतिपय प्रावधानों के तहत इस वादपत्र के जरिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध सरहद मौजा जाखोडा पटवार सर्कल कोलीवाडा तहसील सुमेरपुर में स्थित वादीनी व प्रतिवादीगण की संयुक्त पुश्तैनी कब्जे काश्त की वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 920 रकबा 3.7000 हेक्टर किस्म नहरी अव्वल में स्व.लच्छाराम के 1/2 हिस्से में से वादीनी का 1/7वां हिस्सा खातेदारी घोषणा हेतु, बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत बंटवाडा करवाये जाने हेतु एवं वादीनी के हक–हिस्से की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण या उनके प्रतिनिधि किसी प्रकार से दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करे, इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु बहक वादीनी विरूद्ध प्रतिवादीगण के निर्णय व डिक्री का अनुतोष चाहे जाने पर इस न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 09.07.2012 को निर्णय/प्राथमिक डिक्री पारित कर उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में स्व.लच्छाराम के 1/2 हिस्से में से वादीनी को 1/7वे हिस्से का खातेदार घोषित किया गया व बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत बंटवाडा करने हेतु तहसीलदार सुमेरपुर को अधिकृत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

लगातार–2

Scanned by CamScanner

(2) कि प्रश्नगत् मामला निर्णय/प्राथमिक डिक्री की पालना हेतु विचाराधीन रहते बरोज आज इस आयोजित राजस्व लोक अदालत केम्प में पक्षकारों ने इस आशय का राजीनामा पेश किया कि "प्राथमिक डिक्री अनुसार घोषित हिस्सा अनुसार अपना (वादीनी) का नाम दर्ज करवा कर उसकी पालना करवाने को सहमत है मौके व रिकार्ड में बंटवाडा यथासमय आपसी सहमति या अन्यथा भविष्य में करवाने की सहमति के साथ वाद आंशिक डिक्री के रूप में सहमत है।" अतः हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करे। हमने, पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को बाद सत्यापन तस्दीक कर रेकर्ड लिया गया।

फलस्वरूप कथित मामले में वर्तमान वाद–विषयक स्थिति एवं तस्दीक सुदा राजीनामे की इबारत को विधिक दृष्टिकोण से ध्यान में रखते हुए वादीनी को वादग्रस्त कृषि भूमि में उनके द्वारा चाहे गये अनुतोष अर्थात स्व.लच्छाराम के 1/2 हिस्से में से वादीनी को 1/7वे हिस्से का खातेदार घोषित किया जा चुका है, इस अनुतोष को यथावत् रखते हुए हमारे मतानुसार इस वादपत्र को आंशिक रूप से स्वीकार एवं डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण एवं विवेचित तथ्यों एवं पक्षकारों के तस्दीक सुदा राजीनामे की इबारत को विधिक दृष्टिकोण से ध्यान में रखते हुए वादीनी का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के आंशिक रूप से स्वीकार एवं डिक्री किया जाता है कि प्रश्नगत् मामले में इस न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में पारित निर्णय/प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.07.2012 के अनुसार सरहद मौजा जाखोडा पटवार सर्कल कोलीवाडा तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 920 रकबा 3.7000 हेक्टर किस्म नहरी अव्वल में स्व.लच्छाराम के 1/2 हिस्से में से वादीनी को 1/7वे हिस्से का खातेदार घोषित किया जा चुका है, इस अनुतोष को यथावत् रखते हुए तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी कोलीवाडा को आदेश दिया जाता है कि वे वादीनी के उक्त घोषित खातेदारी हक–हिस्से का राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद कर पालना सुनिश्चित करे। पक्षकारान खर्चा अपना–2 वहन करे। माफिक निर्णय डिक्री–पर्चा मुतिब हो।

यह निर्णय बरोज आज दिनांक 02.06.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र कोलीवाडा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner